GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

(To be substituted bearing same No. and Date)

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांकः– 8/27–2020 पी0एस0 (2)
दिनांक, पंचकूलाः–06–05–2021/12-5-2021

विषयः– हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 की प्रति क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 (हिन्दी व अंग्रेजी) की प्रति भेजकर निर्देश दिये जाते है कि तदानुसार आप अपने अधीनस्थ सभी निजी विद्यालयों में NCERT/SCERT तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा प्रकाशित/निर्धारित पुस्तके लागू करवाना सुनिश्चित करे।

इन आदेशों की दृढता से पालना करवाई जाए।

संलग्नः– नियम की प्रति।

Sd/-
अधीक्षक प्राईवेट स्कूल
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

पृष्ठांकन–क्रमांक–सम दिनांक, पंचकूलाः– 12-5-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री।
2. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. निजी सचिव/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
4. पी0ए0/ महानिदेशक, मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
5. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
6. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, गुरूग्राम।
7. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I/ II
8. इन्चार्ज, आई0टी0 सैल।

12/5/2021

अधीक्षक प्राईवेट स्कूल
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 16, 2021 (PHALGUNA 25, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनाक 1 मार्च, 2021

संख्या सा०का०नि० 67/ह०अ० 12/1999/धा०–24/2004.– हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का 12) की धारा 24 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"10. पाठ्यविवरण में उपबन्धित की जाने वाली विषय–वस्तु। धारा 3 तथा 24 (2) (क)– प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यविवरण विनिर्दिष्ट करते समय, निदेशक या सम्बद्धक बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, अधिकथित की जाने वाली विषय–वस्तु तथा पाठ्य पुस्तकों के बारे में विनिश्चय करेगा।"।

डॉ० महावीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 16, 2021 (PHALGUNA 25, 1942 SAKA)

CONTENTS

			Pages
PART I—	Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government	..	229-232
PART I-A—	Notifications by Local Government Department	..	Nil
PART I-B—	Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners	..	Nil
PART II—	Statutory Notifications of Election Commission of India— Other Notifications and Republications from the Gazette of India	..	Nil
PART III—	Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name and Notices	..	81-82
PART III-A—	Notifications by Universities	..	Nil
PART III-B—	Notifications by Courts and Notices	..	Nil
PART IV—	Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India	..	Nil
PART V—	Notifications by Haryana State Legislature	..	Nil
SUPPLEMENT	PART I— Statistics—	..	Nil
SUPPLEMENT	PART II—General Review-		
LEGISLATIVE	SUPPLEMENT —Contents	..	Nil
Ditto	PART I—Act	..	Nil
Ditto	PART II—Ordinances	..	Nil
Ditto	PART III—Delegated Legislation	..	Nil
Ditto	PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements	..	Nil

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 1st March, 2021

No. S.O. 67/H.A. 12/1999/S. 24/2004.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003, for Rule 10, the following rule shall be substituted namely :—

   "10 Matter to be provided in the syllabi section 3 and 24(2)(9)— The Director or Affiliating Board, as the case may be, while specifying the syllabi for primary, middle, secondary and senior secondary stage shall decide about the contents and text books to be laid down."

DR. MAHAVIR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

9087—C.S.—H.G.P., Pkl.